BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.961/2024

IN THE MATTER OF:

NITIN DEV ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND ...RESPONDENTS

INDEX

Status Report by the District Magistrate, Tehri Garhwal, Uttarakhand, in compliance of the order dated 24.10.2024 of this Hon'ble Tribunal.

TABLE OF ANNEXURE

S.No.	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE NO.
1.	Compliance Report by the District Magistrate Tehri Garhwal		1-3
2.	Factual report	1	4
3.	Report from sub-district magistrate dated 13.11.2024	2	5
4.	Notice to the authorities dated 07.11.2024	3	6
5.	Uttarakhand Pollution Control Board notice dated 13.11.2024	4	7
6.	Food Safety and Drug Administration, Tehri, Uttarakhand notice dated 13.11.24	5	8

7.	Uttarakhand Fire and Emergency Services, Tehri notice dated 13.11.2024	6	9
8.	District Supply Officer, Tehri notice dated 14.11.2024	7	10

FILED BY:

23.11.2024
New Delhi

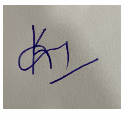

[KAUSHAL GAUTAM]

Additional Advocate General for the State of Uttarakhand / Respondent
A-25, Second floor, Defence Colony,
New Delhi-110024
MobileNo. 9811101934
Email officeofkaushalgautam@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH NEW DELHI

O.A. NO. 961/2024

IN THE MATTER OF:

NITIN DEV

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS.

...RESPONDENTS

COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF DM, TEHRI GARHWAL IN FURTHERANCE OF ORDER DATED 24.10.2024 OF THIS HON'BLE TRIBUNAL

In compliance to the order dated 24.10.2024, I, Mayur Dixit, District Magistrate, Tehri Garhwal, Uttarakhand, do hereby submit:-

1. That in compliance of the above order of the Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench, notice was served upon Respondent No. 05 M/s Osho Ganga Dham through Sub Divisional Magistrate Narendra Nagar on 12.11.2024 which is annexed as **Annexure No. 03.**

2. That letter no. UKPCB/ROD/NGT-121/2024-25/2581-1325 dated 13.11.2024 was sent to the District magistrate for the updated report which stated that M/s Osho Ganga Dham (Janki Kutia) had been issued a notice by the Uttarakhand Pollution Control

Board on 15.10.2024 for contravention of provisions of the Water and Air Acts. A notice was served giving a 15-day period for the explanation, but the unit is yet to respond and now it has been reported that the Uttarakhand Pollution Control Board is proceeding with the next course of action. Letter of the UKPCB (letter no. UKPCB/ROD/NGT- 121/2024-25/2581-1325 dated 13.11.2024) has been annexed as **Annexure No. 04.**

3. **Food Safety and Drug Administration, Tehri, Uttarakhand** found that there is no valid food license on record, and on 16.10.2024, Food Safety and Drug Officer Tehri Garhwal issued a notice to M/s Osho Ganga Dham (Janki Kutia) allowing 3 days' time for an explanation. A reminder has been issued by the food safety officer to M/s Osho Ganga Dham (Janki Kutia). The letter dated 13.11.2024 has been annexed as **Annexure No. 05.**

4. That by letter no. FS/NA/2023 Dated 13.11.2024, **Fire Safety Officer** Narendra Nagar in Tehri Garhwal informed the District magistrate on 15/10/2024 that a notice had been served to M/s Osho Ganga Dham (Janki Kutia) for lack of fire safety arrangements in the premises. However, up until this time, no compliance report has been submitted by the relevant owner or the manager responsible for the premises. Letter no. FS/NA/2023 dated 13.11.2024 of **Fire Safety Officer** Narendra Nagar, Tehri Garhwal informing the district magistrate has been annexed as **Annexure No. 06.**

5. That M/s Osho Ganga Dham (Janki Kutia) received a notice dated 16/10/2024 from the District Supply Officer, Tehri Garhwal, on the use of domestic cooking gas in the kitchen with a week's time to show cause. No reply has been received from the concerned owner/manager. As a result, a reminder letter has been sent by the District Supply Officer to M/s Osho Ganga Dham (Janki Kutia) on 14/11/2024 by letter no. 865/40-29/PETO/2024-2025. The reminder letter to M/s Osho Ganga Dham (Janki Kutia) dated 14.11.2024 has been annexed as **Annexure No.07**

District Magistrate,
Tehri Garhwal, Uttarakhand

23.11.2024
New Delhi

Filed By

[KAUSHAL GAUTAM]
Additional Advocate General for the State of Uttarakhand / Respondent
Office: A-25, Second floor, Defence Colony, New Delhi-110024
Mobile No. 9811101934
Email- officeofkaushalgautam@gmail.com

नितिन देव

बनाम

उत्तराखण्ड सरकार

तथ्यात्मक आख्या

1. मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल ओवदन संख्या 961/2024 में दिनांक 24.10.2024 को पारित आदेश के अनुपालन के कम में प्रतिवादी संख्या–05 मेसर्स ओशो गंगा धाम को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर के माध्यम से दिनांक 12.11.2024 को नोटिस की विधिवत तामिली करवायी गयी है।
2. मै0 ओशो गंगाधाम (जानकी कुटिया) के द्वारा जल/वायु अधिनियमों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा दिनांक 15. 10.2024 को नोटिस प्रेषित कर उक्त के संबन्ध में स्पष्टीकरण हेतु 15 दिवस का समय दिया था, किन्तु वर्तमान तक इकाई द्वारा उक्त नोटिस का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके कम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।
3. फूड लाईसेंस प्राप्त न होने की दशा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टिहरी गढवाल के द्वारा मै0 ओशो गंगाधाम (जानकी कुटिया) को दिनांक 16.10.2024 को नोटिस जारी कर 03 दिवस का समय दिया था, किन्तु आतिथि तक उपरोक्त के द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जिसके कम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टिहरी गढवाल के द्वारा मै0 ओशो गंगाधाम (जानकी कुटिया) को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया है।
4. परिसर में अग्निशमन की व्यवस्था न होने कि दशा में अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल के द्वारा मै0 ओशो गंगाधाम (जानकी कुटिया) को दिनांक 15.10.2024 को नोटिस जारी किया गया था, किन्तु उपरोक्त के सम्बन्ध में आतिथि तक सम्बन्धित स्वामी/प्रबन्धक के द्वारा प्रकरण पर कोई लिखित अभिलेख/अनुपालन उपलब्ध नहीं कराया गया है।
5. परिसर के कीचन में घरेलू गैस सिलेण्डरों के उपयोग होने की दशा में जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढवाल के द्वारा मै0 ओशो गंगाधाम (जानकी कुटिया) को दिनांक 16.10.2024 को नोटिस जारी कर एक सप्ताह का समय दिया गया था किन्तु आतिथि तक सम्बन्धित स्वामी/प्रबन्धक द्वारा काई प्रतिउत्तर प्राप्त नही कराया गया है, जिसके कम में जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढवाल के द्वारा दिनांक 14.11.2024 को मै0 ओशो गंगाधाम (जानकी कुटिया) को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया है।

जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल।

Annexure 02 **44**

DPO(नमामि गंगे) 05

कार्यालय ... 14/11/24 नई टिहरी, (टिहरी गढ़वाल)

R. No. 528 /ERK

पंजिका सं0 13-I दिनांक 18-11-24

जिलाधिकारी
टेहरी गढ़वाल।
14/11/24

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

सेवामें

जिला–अधिकारी,
टिहरी–गढ़वाल।

संख्या– 511 /आर0ए0–2024(तामिली आख्या) दिनांक नरेन्द्रनगर,नवम्बर, 13 ,2024
विषय: एन0जी0टी0 ओ0ए0 नम्बर 961 / / 2024 में पारित आदेश के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक महोदय के पत्र संख्या– 53 / गंगा समिति टि0ग0 / 2024 दिनांक नई टिहरी 07, नवम्बर, 2024 के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर 961 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2024 के कम में नोटिस की तामिली हेतु इस कार्यालय प्रेषित की गई है।

उक्त के कम में राजस्व उप निरीक्षक तपोवन द्वारा नोटिस की तिमिली करवाते हुए आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

अतः नोटिस तामिली आख्या महोदय की सेवामें सादर प्रेषित।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,
(देवेन्द्र सिंह नेगी)
उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।

संख्या– 53 /गंगा समिति टि०ग०/2024–25 दिनांक नई टिहरी, 07, नवम्बर, 2024

उप जिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

विषयः– **एन०जी०टी० ओ०ए० नं०–961/2024 में पारित आदेश के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली, में योजित ओ०ए० नं०– 961/2024 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2024 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या–05 मेसर्स ओशो गंगाधाम को जिला मजिस्ट्रेट, टिहरी गढवाल के माध्यम से भी नोटिस जारी किया जाना है।

अतः मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के उक्त आदेश को संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से तीन दिवस के भीतर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि।

07.11.24
अपर जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

महत्वपूर्ण

रा०उ०नि० तपोवन,
कृ० यथाशीघ्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
11/11/2024

प्राप्त किया 11/11/2024
(प्रेमचैतन्य)
12/11/2024
अध्यक्ष
श्री जानकी कुटिया धाम
ट्रस्ट (रजि०)

महोदय,
नोटिस की तामीली विधिवत करवा दी गई है।
तामीली रिपोर्ट सेवा में प्रेषित।
12/11/2024
रा०उ०नि०
तपोवन

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्डप्रदूषणनियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001
टेलीफोननं.–0135–3593200

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/ एन0जी0टी0–121 /2024–25/ 2581 – 1325 दिनांक: 13/11/24

सेवामें,

जिलाधिकारी महोदय,
टिहरी गढ़वाल।

विषय– मा0 एन0जी0टी0 में योजित OA No. 961/2024 Nitin Dev Vs. State of Uttarakhad के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आज दिनांक 13.11.2024 को श्री अरूण उनियाल, जिला परियोजना अधिकारी, नमामि गंगे, टिहरी गढ़वाल से हुई वार्ता के अनुक्रम में, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा मै0 ओशो गंगाधाम (जानकी कुटिया) ब्रहमपुरी, तहसील नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी गढ़वाल की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में विवरण चाहा गया है, के सम्बन्ध मे सादर अवगत करना है कि मै0 ओशो गंगाधाम (जानकी कुटिया) बहमपुरी का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 24.09.2024 को किया गया था, जिसमें पाया गया था कि आश्रम द्वारा जल/वायु अधिनियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके अनुपालन हेतु आश्रम को दिनांक 15.10.2024 को इस कार्यालय द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया। (छायाप्रति संलग्न) जिसमें इकाई को उक्त के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु 15 दिन का समय दिया गया था। वर्तमान तक इकाई द्वारा उक्त नोटिस का अनुपालन नहीं किया गया। जिसके कम में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

13/11/2024

(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, टिहरी गढ़वाल

(हिल टॉप सदन, भवन संख्या–बी0010निकट सेक्टर–3बी निकट मॉडल हाउस, नई टिहरी)
(do.fssauk.tehri@gmail.com, dotehri-Fda@uk.gov.in)

प्रेषित

अनुस्मारक पत्र
ई–मेल / व्हाट्सअप

श्री मनोज पुत्र श्री रमेश चन्द (प्रबन्धक)
धमार्थ ट्रस्ट (ओशो गंगा धाम) ब्रहमपुरी, डाकखाना–तपोवन
थाना–मुनिकीरेती, जनपद –टिहरी गढ़वाल

विषय– निरीक्षण मे पायी गयी कमियों मे सुधार सूचना के सम्बन्ध मे ।

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि ब्रहमपुरी, डाकखाना–तपोवन थाना–मुनिकीरेती, जनपद –टिहरी गढवाल मे दिनाक 16 अक्टूबर 2024 को खाद्य सुरक्षा एव औषधि प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया गया है। जिसमे खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा अपनी निरीक्षण के दौरान निम्न कमियां पायी गयी ।

1. प्रतिष्ठान मे खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियमावली 2011 के तहत प्रदत्त पंजीकरण / लाइसेन्स प्राप्त नही पाया गया।
2. प्रतिष्ठान मे भूमिगत जल का प्रयोग किया जा रहा है जिसकी वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं पायी गई।
3. प्रतिष्ठान में पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट नही पायी गयी है।
4. प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं हैं।
5. प्रतिष्ठान में Sevage Treatment की व्यवस्था नहीं है।

आपको अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त कामियो मे सुधार हेतु आपको 03 दिन का समय दिया गया था परन्तु अतिथि तक आपके द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया अतः आपको इस पत्र के माध्यम से अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये 03 दिनों का समय स्पष्टीकरण देने हेतु दिया जाता है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने की दशा तथा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न होने पर विभाग द्वारा अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही प्रचालित कर दी जायेगी। जिसका समस्त दायित्व स्वंय आपका होगा।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन,
नरेन्द्रनगर , टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. अभिहित अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औशधि प्रषासन, टिहरी गढवाल।
2. जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल।

13/11/2024

खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन,
नरेन्द्रनगर , टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन नरेन्द्रनगर जनपद टिहरी गढ़वाल।
पत्रांकः– एफ0एस0/नि0आ0/2023 दिनांकः नवम्बर 13, 2024।

सेवा में,

जिलाधिकारी
जनपद टिहरी गढ़वाल।

विषय–: श्री जानकी कुटिया धमार्थ ट्रस्ट(ओशो गंगा धाम) लीज न0 52 ब्रहमपुरी, बद्रीनाथ रोड़, टिहरी गढ़वाल के अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया दिनांक 15.10.2024 को अपर जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के द्वारा ऑन–लाईन Google Meet के माध्यम से उपरोक्त विषयक प्रकरण पर सम्बन्धित विभागों को बैठक के दौरान सम्बन्धित प्रकरण पर स्थलीय निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में निरीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित संस्थान को इस कार्यालय के समसख्यंक पत्र दिनांक 15.10.2024 के माध्यम से अग्निशमन व्यवस्थाओं को सुझाव के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करनें एवं नियमानुसार ऑन–लाईन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन उपरोक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित स्वामी/प्रबन्धक के द्वारा आतिथि तक प्रकरण पर कोई लिखित अभिलेख/अनुपालन इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये है।

अतः उपरोक्तानुसार रिपोर्ट कृपया सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक–: यथोपरि।

"सादर"

13/11/24
(शंकर चन्द रमोला)
प्रभारी अग्निशमन अधिकारी
फा0 स्टे0 नरेन्द्रनगर(टि0ग0)।

प्रतिलिपि–:

1. अपर जिलाधिकारी महोदय जनपद टिहरी गढ़वाल को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय,
जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
एम–ब्लॉक, द्वितीय तल, नई टिहरी।

अनुस्मारक -1

E-mail : dsotehri111@gmail.com

पत्रांक :– 865/40–29/पेट्रो0/2024–25 दिनांक : 14 नवम्बर, 2024

स्वामी/प्रबन्धक,
ओशो गंगा धाम, (जामटी कुटिया),
पट्टा संख्या–52, ब्रहमपुरी नरेन्द्रनगर, टि0ग0।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित नोटिस संख्या–743/40–88/पेट्रो0/2024–25 **दिनांक 16 अक्टूबर, 2024** संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपसे जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2024 को किये गये निरीक्षण आख्या में उल्लेखित **बिंदु सख्या 06** के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर एक सप्ताह की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जोकि आतिथि तक इस कार्यालय को प्राप्त नही हुआ है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे अपना प्रतिउत्तर शीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें। प्रतिउत्तर प्राप्त न होने की दशा मे यह समझा जायेगा कि आपको सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। तत्पश्चात् आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

जिला पूर्ति अधिकारी,
%/c टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपिः– 1:– क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, 10 बीघा को इस निर्देश के साथ कि उक्त अनुस्मारक को सम्बन्धित को प्राप्त करवाते हुए प्राप्ति जिला पूर्ति कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
2:–जिलाधिकारी महोदय, के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

जिला पूर्ति अधिकारी,
%/c टिहरी गढ़वाल।